भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3928
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

सांकेतिक भाषाओं का उपयोग

†3928. श्री शफी परम्बिल:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में प्रयोग करने वाले संस्थानों की सूची का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इन शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय सांकेतिक भाषा पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और
(ग) स्कूलों में भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सहित सहायता हेतु सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) ने देश में भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा (डीटीआईएसएल) और भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में डिप्लोमा (डीआईएसएलआई) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 37 संस्थाओं को अनुमोदन दिया है। आरसीआई ने अपने द्वारा अनुरक्षित केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में 449 अर्हताप्राप्त कार्मिकों को पंजीकृत किया है। आरसीआई द्वारा अनुमोदित 37 संस्थाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और सीआरआर में अर्हताप्राप्त कार्मिकों की संख्या क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में उल्लिखित है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में देश भर में भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) के संवर्धन और मानकीकरण पर जोर दिया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार श्रवण बाधित छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दिसंबर 2024 में पीएम ई-विद्या पहल के अंतर्गत एक समर्पित 24x7 डीटीएच चैनल (चैनल संख्या 31) का शुभारंभ किया गया है, जो सुलभ अधिगम को बढ़ावा देने के लिए आईएसएल में शैक्षिक सामग्री प्रसारित करता है। यह चैनल यूट्यूब पर भी उपलब्ध है और इसे इस लिंक https://youtube.com/@pmev31-u9c?si=HRhxbtFLfLRIsman पर देखा जा सकता है। एनसीईआरटी द्वारा विकसित भारतीय सांकेतिक भाषा में 5 दिवसीय बुनियादी पाठ्यक्रम, मौलिक कौशल सिखाने, आईएसएल के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक

भाषा के एकीकरण के लिए फरवरी, 2025 में आईएसएल चैनल नंबर 31 पर प्रसारित किया गया और इसमें 21,648 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

समावेशी शिक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 93,345 सामान्य शिक्षकों को लक्ष्य करते हुए पांच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए 23.42 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। राष्ट्रीय विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति पहल (निष्ठा) के अंतर्गत संचालित इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम का प्रत्येक दिन ब्रेल और सांकेतिक भाषा पर लघु मॉड्यूल के साथ समाप्त होता है, जिससे प्रतिभागियों को बुनियादी ब्रेल साक्षरता और दैनिक जीवन की आईएसएल शब्दावली सीखने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, पीएबी द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2025-26 के दौरान 58,735 संसाधन व्यक्तियों और विशेष शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 16.95 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से 7 तक की पाठ्यचर्या संबंधी अपनी पाठ्यपुस्तकों को आईएसएल में परिवर्तित कर दिया है। मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, उर्दू, अर्थशास्त्र के शब्दावली भी आईएसएल में तैयार की गई है और इन ई-सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दीक्षा पोर्टल और पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से इनका नियमित रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। आईएसएलआरटीसी के सहयोग से दीक्षा पर 10,500 शब्दों का एक आईएसएल शब्दकोश अपलोड किया गया है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) सभी के लिए समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित और सहयोग करने के लिए, वंचितों तक पहुंचने के दर्शन के साथ कार्यरत है और विभिन्न सक्रिय उपाय कर रहा है। एनआईओएस ने दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि वाले शिक्षार्थियों के लिए टॉकिंग बुक्स, आईएसएल में विषय-विशिष्ट शब्दावली शब्दकोश, और बधिर तथा कम सुनने वाले शिक्षार्थियों के लिए आईएसएल में वीडियो प्रारूप में अधिगम सामग्री विकसित की है। ये एनआईओएस और ज्ञानामृत के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। एनआईओएस देश का पहला बोर्ड है, जो माध्यमिक स्तर पर बधिर शिक्षार्थियों के सुगम ज्ञान अर्जन और बोधगम्यता के लिए आईएसएल को एक भाषा विषय के रूप प्रस्तुत प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), डिप्लोमा पाठ्यक्रम और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, कार्यशालाओं और वेबिनारों के आयोजन सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आईएसएल को बढ़ावा देता है। अप्रैल 2025 में एनईपी 2020 के अनुरूप आधारभूत स्तर पर आईएसएल पाठ्यपुस्तकों को एक विषय के रूप में विकसित करने के लिए आईएसएलआरटीसी को राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत 15.55 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

*****

अनुलग्नक-।

माननीय संसद सदस्य श्री शफी परम्बिल द्वारा 'सांकेतिक भाषाओं के प्रयोग' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.08.2025 लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3928 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में डिप्लोमा (डीआईएसएलआई) और भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा (डीटीआईएसएल) कार्यक्रम संचालित करने के लिए आरसीआई द्वारा अनुमोदित संस्थाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्था
1	आंध्र प्रदेश	समेकित क्षेत्रीय केंद्र नेल्लोर (द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान-दिव्यांगजन)
2	बिहार	समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र
3	छत्तीसगढ़	समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र
4	दिल्ली	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी)
		तमन्ना एसोसिएशन (स्कूल ऑफ होप)
5	गोवा	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी) विस्तार केंद्र
6	गुजरात	समेकित क्षेत्रीय दिव्यांगजन केंद्र
7	हरियाणा	हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट
		महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक
8	हिमाचल प्रदेश	समेकित क्षेत्रीय दिव्यांगजन केंद्र
9	झारखंड	समेकित क्षेत्रीय केंद्र
10	कर्नाटक	समेकित क्षेत्रीय केंद्र
11	केरल	राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण संस्थान (एनआईएसएच)
12	मध्य प्रदेश	समेकित क्षेत्रीय दिव्यांगजन केंद्र (सीआरसी)
		डेफ डंब एसोसिएशन इंदौर
		राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान
13	महाराष्ट्र	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन)
14	मणिपुर	बीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय
		समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (सीआरसी-इंफाल)
15	मेघालय	समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (दिव्यांगजन)
16	ओडिशा	एवाईजेएनआईएसएचडी (दिव्यांगजन), क्षेत्रीय केंद्र
		समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (दिव्यांगजन)
		स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
17	पंजाब	स्पीकिंग हैंड वेलफेयर फाउंडेशन
18	राजस्थान	एनआईईपीवीडी, देहरादून, डीईपीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन) एम/ओएसजेई के अंतर्गत समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (दिव्यांगजन)
		श्याम विश्वविद्यालय: विशेष शिक्षा विभाग
19	तमिलनाडु	समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (सीआरसी-मदुरै)
		दिव्यांगता प्रबंधन और विशेष शिक्षा संकाय: रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय (आरकेएमवीयू)
		राष्ट्रीय बहु दिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान
20	तेलंगाना	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन), क्षेत्रीय केंद्र
		आश्रय आकृति
21	त्रिपुरा	समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र
22	उत्तर प्रदेश	समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र
		डॉ. आरपीएस शिक्षा संस्थान
23	उत्तराखंड	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन)
24	पश्चिम बंगाल	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन), क्षेत्रीय केंद्र
		राष्ट्रीय अस्थिदिव्यांगता विकलांग संस्थान

****

अनुलग्नक-II

माननीय संसद श्री शफी परम्बिल द्वारा 'सांकेतिक भाषाओं के प्रयोग' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3928 भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

डीआईएसएलआई और डीटीआईएसएल पाठ्यक्रमों वाले आरसीआई के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में कार्मिकों का पंजीकरण ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में डिप्लोमा (डीआईएसएलआई)	भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा (डीटीआईएसएल)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	1	3
5	बिहार	5	6
6	चंडीगढ़	1	0
7	छत्तीसगढ	5	5
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0	0
9	दिल्ली	80	25
10	गोवा	3	0
11	गुजरात	7	3
12	हरियाणा	62	35
13	हिमाचल प्रदेश	2	1
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	3
15	झारखंड	3	4
16	कर्नाटक	8	2
17	केरल	28	14
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	0	1
20	मध्य प्रदेश	62	34
21	महाराष्ट्र	28	10
22	मणिपुर	2	1
23	मेघालय	1	1
24	मिजोरम	3	0
25	नागालैंड	0	0
26	ओडिशा	0	0
27	पुदुचेरी	0	0
28	पंजाब	0	0
29	राजस्थान	0	0
30	सिक्किम	0	0
31	तमिलनाडु	0	0
32	तेलंगाना	0	0
33	त्रिपुरा	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	0
35	उत्तराखंड	0	0
36	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल	**301**	**148**

****